भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2526

उत्तर देने की तारीख -04/08/2025

सोमवार, 13श्रावण, 1947 (शक)

भारत के कुशल कार्यबल में निवेश

2526. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरु किये गये कौशल एवं क्षमता निर्माण योजनाओं और कार्यक्रमों में निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ख) सरकार द्वारा चिह्नित प्रमुख कौशल विकास क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौशल अंतराल और अल्प-योग्यता के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से लैस करना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व-अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनःकौशलीकरण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों, नव-साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजनों और अन्य योग्य व्यक्तियों को आयु सीमा में उचित छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वजीफा भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह स्कीम देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। ये आईटीआई कई आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योगों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करना है।

इसके अलावा, उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण और पक्ष-समर्थन के माध्यम से एक समावेशी उद्यमशीलता इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की है:

(i) उद्यमिता संवर्धन के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना; नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना; स्टार्टअप इंडिया; स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम; प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना ; टेक्नोलौजी इंक्यूबेशन एंड डेव्लपमेंट ऑफ एंटरप्रेनयर्स स्कीम आदि।

(ii) देश के स्टार्टअप इको सिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इको सिस्टम बनाने के इरादे से, सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। प्रमुख योजनाएं, अर्थात् फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) अपने व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में स्टार्टअप का समर्थन करती हैं।

(ii) एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, यानी राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष क्षेत्रों सहित देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

(iv) एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से, फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिज़ोरम और उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना में महिला उद्यमिता कार्यक्रम - स्वावलंबिनी - की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनआईईएसबीयूडी, नोएडा और

आईआईई, गुवाहाटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले ईएपी और ईडीपी के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है।

समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतरालों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये अध्ययन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, ज़िला कौशल समितियों (डीएससी) को ज़िला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। डीएसडीपी रोज़गार के अवसरों वाले क्षेत्रों के साथ-साथ ज़िले में कौशलीकरण की संबंधित माँग की पहचान करती हैं और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से, क्षेत्र-विशिष्ट कौशल मांगों के विश्लेषण के लिए एक मजबूत पद्धति स्थापित करने हेतु सात उच्च-विकास क्षेत्रों संबंधी एक राष्ट्रीय कौशल अंतराल अध्ययन किया। इन सात क्षेत्रों में शामिल हैं - (i) अनाज, फलीदार फसलों और तिलहन की खेती; (ii) मवेशी और भैंसों का पालन; (iii) वस्त्र बुनाई; (iv) मोटर वाहनों, मोटर वाहनों के पुर्जों और सहायक उपकरणों का निर्माण; (v) सौर ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके बिजली उत्पादन; (vi) विशेष दुकानों में भोजन, कपड़े, जूते और चमड़े की वस्तुओं की खुदरा बिक्री और एमवी का रखरखाव और मरम्मत; और (vii) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गतिविधियाँ। इस अध्ययन ने उन नौकरी भूमिकाओं की पहचान की है जो सात क्षेत्रों में मांग की कमी का सामना कर रही हैं और मांग की कमी की संभावना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौशल प्रशिक्षण वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप हो और इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो, एमएसडीई द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक स्थापित करता है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बौडीज़ से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योग के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया है।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, नए युग/भविष्य के कौशल वाली नौकरी-भूमिकाओं को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) डीजीटी ने 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, साइबर सिक्युरिटी असिस्टेंट, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने सीएसआर पहलों के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने हेतु आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियाँ आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान को सुगम बनाती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ix) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता इको सिस्टम को एकीकृत करके आजीवन चलने वाली सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

(x) एमएसडीई प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेला और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) का आयोजन करता है।

*****